(11)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या – 22/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/29

अपीलान्ट :–

जानकी पुत्री नारायणदास, जाति साद, निवासी सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. बालूदास पुत्र नारायणदास
2. ओमप्रकाश पुत्र नारायणदास
3. सामदास पुत्र नारायणदास
4. तीजो पत्नी नारायणदास
5. कमला पुत्री नारायणदास
6. लक्ष्मी पुत्री नारायणदास
7. बजरंगदास पुत्र दामोदरदास
8. अनुदेवी पत्नी दामोदरदास
   जातियान् साद, निवासीगण सुखमण्डला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
9. उपतहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 303 दिनांक 27.12.2004।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलान्ट की ओर से)।
2. रेस्पोडेन्ट्स नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक: 29.01.2025**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

1. यह अपील ग्राम सुखमण्डला के नामान्तरकरण संख्या 303 पर उप तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2004 को निरस्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

12

02.05.2017 को पेश हुई है। अपील के संलग्न अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ–पत्र पेश किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस दिनांक 22.01.2025 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 29.01.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

2. अपील को दिनांक 03.05.2017 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष रखने हेतु तलब किया गया। दिनांक 20.06.2017 को प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 8 स्वयं उपस्थित हुए। इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 3 व 7 दिनांक 23.01.2023 को उपस्थित हुए। प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 पर जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे गए नोटिस पोस्ट ऑफिस की ट्रेक रिपोर्ट अनुसार उन्हें डिलीवर हो चुके है। परन्तु उन्होनें उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा है। उक्तानुसार प्रत्यर्थीगण पर समुचित रूप से नोटिस तामिल होने के बावजूद भी न तो जवाब पेश किया है तथा न ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता ने उपस्थिति दी है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपीलान्ट अनुसार इस प्रकार है कि ग्राम सुखमण्डला के खसरा नम्बर 71/1, 127, 129, 147, 151, 153, 154 की कुल भूमि 26.17 बीघा, दिनांक 27.12.2004 को प्रर्वतनशील जमाबन्दी के खाता संख्या 71 के अनुसार खातेदार – नारायणदास, छोगाराम, नेनूराम, मोहनदास पिता गोविन्दराम कौम साद के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार नारायणदास की दिनांक 30.06.2001 को व उसके लड़के दामोदरदास के फौत होने ग्राम सुखमण्डला का नामान्तरकरण संख्या 303, नारायणदास के पुत्र – बालूदास, ओमप्रकाश व पत्नी तीजों देवी के नाम तथा दामोदरदास के पुत्र बजरंगदास, पत्नी अनुदेवी के नाम दर्ज किया गया, जिसे उप तहसीलदार बालेसर ने दिनांक 27.12.2004 को स्वीकृत किया। परन्तु अपीलान्ट जानकी व प्रत्यर्थी संख्या 5 (कमली), 6 (लक्ष्मी), मृतक नारायणदास की जायन्दा पुत्रियाँ होने के बावजूद भी उनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है तथा उनका भी प्रत्येक का 1/8 हिस्सा नारायणदास की अ[illegible] बनता है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट [illegible] जानकारी दिनांक 10.04.2017 को होना बता[illegible] को पटवारी से नामान्तरकरण की नकल लेना बताया है तथा [illegible] के 02.05.2017 को अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13

पेश की है। देरी क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 म्याद एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई, जिसमें उन्होनें अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराया तथा नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10.04.2017 को पटवारी से होने बताया। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 22.01.2025 को लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भलीभांति अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित कथनों का अवलोकन कर विवेचन किया।

(अ) अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित आधारों पर विचार किया। अंपीलान्ट अनपढ़ महिला है तथा प्रकरण उत्तराधिकार से सम्बंधित है जिस पर उसे जन्म से ही पिता की सम्पति में अधिकार अर्जित हो जाते है। जानकारी के अभाव में नामान्तरकरण की अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक रूप से हुई है, प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों का प्रत्यर्थीगण ने जवाब पेश कर खण्डन भी नहीं किया है अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णित करना हम न्यायहित में उचित मानते है।

(ब) पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य से अपीलान्ट खातेदार नारायणदास की जायन्दा पुत्री है तथा नारायणदास निर्वसीयती रूप से फौत हुए है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार अपीलान्ट प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है तथा वह भी स्वर्गीय नारायणदास की अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 303 में अंकित खसरा संख्यान् की भूमि में नारायणदास के अन्य वारिसान् के समान हक/हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अपीलान्ट ने एक अन्य नामान्तरकरण संख्या 599 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के समक्ष अपील पेश करना बताया है, जिसमें आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को सुनवाई कर निस्त[illegible]तिप्रेषित किया गया है, जो अपीलान्ट के कथनों को बल प्रदान करता है।

6. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील [illegible] होने से अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सुखमण्डला के नामान्त[illegible]रण संख्या 303 पर उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 18:49:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14

तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण वर्तमान तहसील चामू के तहसीलदार चामू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय नारायणदास के समस्त कानूनी वारिशों की गहन जांच की जाकर, नारायणदास के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम वादग्रस्त आराजी नियमानुसार दर्ज कर नामान्तरकरण का नए सिरे से निस्तारण किया जाकर समस्त राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार इन्द्राज किया जावे तथा उक्तानुसार निर्णय पारित करने से पूर्व, सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावे।

7. निर्णय की प्रति तहसीलदार चामू को भेजी जावे तथा मूल रिकॉर्ड पुनः तहसीलदार को लौटाया जावे। पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(जवाहर चौधरी) 26
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर
अपर जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी) 29/1/25
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:49:59 IST
Reason: SelfAttested